

33

1.25 PM

प्ररूप - 2 ड.

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन-पत्र

परिषद् निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद् के लिए नर्वाचनहम बिहार (राज्य) की विधान परिषद् के निर्वाचन के लिए दरभंगा शिक्षा निर्वाचन-क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्देशित करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम डा० महेंद्र मोहन झा (पिता/माता/पति का-
नाम) डा० नारायण झा उसका डाक पता ग्राम + पोस्ट - बंधा
धाना- मन्निगाही, जिला-दरभंगा उसका नाम 82 दरभंगा ग्रामीण
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 216 में क्रम सं० 491 पर
प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम दरभंगा शिक्षा परिषद् निर्वाचन
क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट हैं और इस नाम निर्देशन के प्रतीक
स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	दरभंगा शिक्षा निर्वाचक नामावली की भाग सं०	उस भाग की क्रम सं०		
1	2	3	4	5
1	42	85	मुरारी मोहन झा	5.3.2014
2	42	80	मुकेश्वर मिश्रा	5-3-2014
3	42	227	सुमन कुमार झा	05.03.2014
4	42	225	अशोक कुमार मिश्रा	05-03-2014
5	42	226	श्री लाल कुमार चौधरी	5.3.2014
6	42	252	शिव नारायण पासवान	05-03-14
7	38	60	महार्दव झा	05/3/14
8	38	220	शुशील कुमार सिंह	05/3/14
9	36	06	परवेज अहमद खान	05-03-14

प्रस्थापक निर्वाचक क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हो, होने चाहिए।

मैं उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि:-

(क) मैंने 56 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मैं इस निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खड़ा किया गया हूँ/~~सही की गई है~~।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवनागरी भाषा का नाम, में सही रूप से लिखा गया है : और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं हरमंगा विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से (राज्य) की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और ~~निर्हित~~ नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख 05.03.2014

महमूद महमूद
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें।

(भाग - 2)
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिये, या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है, या हाँ/नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष
या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हां" में है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा: शुन्य

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक शुन्य
- (ii) पुलिस थाना (थाने) शुन्य जिला(जिले) शुन्य राज्य शुन्य
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके
(जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था शुन्य
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) शुन्य
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था शुन्य
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें शुन्य
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) शुन्य
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाईल किए गये थे: हाँ/नहीं शुन्य
- (ix) फाईल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां शुन्य
- (x) उस न्यायालय (उस न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाईल
किए गये थे शुन्य
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, या वह/वे लंबित है शुन्य
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है तो शुन्य
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शुन्य
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) शुन्य

लेखिका सराय

05.03.2014

स्थान
तारीख

महेश मोहन मश

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(भाग - 3)

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० - 33

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 05.03.2014 तारीख, को 1.25 PM बजे,

अभ्यर्थी/प्रस्थानक 370 महन मोहन शा नाम, द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 05.03.2014

सहायक रिटनिंग आफिसर,
शिक्षा विभाग, दिल्ली

रिटनिंग आफिसर

क. नु. ० के सदस्य
दरभोग, बगल, पल्लवा

(भाग - 4)

नामनिर्देशन-पत्र की प्रतिगृहित या रद्द करनेवाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है

और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख.....

रिटनिंग आफिसर

(छिद्रण.....)



4
5/3/16



प्रारूप 26
(नियम 4क देखिए)

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) बिहार विधान परिषद् (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं डॉ० मदन मोहन झा ** पुत्र डॉ० नागेन्द्र झा, आयु 56 वर्ष, जो ग्राम+पोस्ट-बघांत, थाना-मनीगाछी, जिला-दरभंगा (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- (1) मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
- (**) जो लागू न हो उसे काट दें।
- (2) मेरा नाम 82 दरभंगा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. -216, के क्रम सं. 491 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9431019240 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) **madanmohanjha56@gmail.com** है।
- (4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रास्थिति :

क्रम. सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गइ है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	AALPJ1093R	2012-13	17,58,921 / -
2.	पत्नी	AGQPJ7202F	2011-12	1,74,500 / -

3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

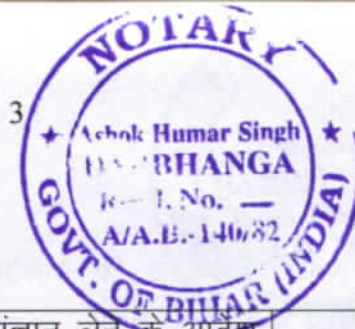


अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।



{पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामले से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुरीक्षण के लिए फाईल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष से अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है।

4513

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठाहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य



(7) मैं, मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिक्लेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का यही अर्थ है जो उसका लो प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	75,000 /—	15,000 /—	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइतियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	HDFC Bank Ltd. 1,29,945/- Allahabad Bank 9,891/- Union Bank of India 92,299/- & 2134/- Bank of India 3,15,614/- Allahad Bank 3,34,533/- SBI 3,14,197/- PF A/C 12,66,393/- PPF SBI 3,50,000/- FD Allahabad Bank 5,31,959/-	HDFC Bank Ltd. 1,11,776/- Allahabad Bank 1,99,348/- SBI 1,45,755/- Allahabad Bank 1,45,324/-	शून्य	शून्य	शून्य

8573



(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	मो0 राजवीगनर, खाता सं0-169 जिला-पटना	मौजा-राजे, मनीगाछी, जिला-दरभंगा	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	4320 वर्गफीट	11403 वर्गफीट	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	18.05.1882	01.06.1990	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	42,850 / -	85,000 / -	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	9,00,000 / -	8,00,000 / -	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

513



क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्मित क्षेत्र क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान ओर रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	महेन्द्रा स्कॉर्पिया 2010, रु0-10,02,513/- नं0-बी0आर0-01पी0 सी0-0723.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोना-10 ग्राम, रु0-30,000/-	सोना-114 ग्राम रु0-4,32,000/-			

513



(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	53,54,478 /—	18,34,000 /—		

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	मौजा—बघांत, खाता नं०—2744, 2745, 2746 एवं 2747.	मौजा—राजे,	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	कुल 28 एकड़ में से एक तिहाई का एक चौथाई हिस्सा यानि 02 एकड़ 44 डसीमल	06 कट्टा	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति	हां	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	1. दो पुराना पक्का पैतृक मकान ग्राम बघांत, खाता नं०—2745, जिला—दरभंगा जिसमें स्वयं का हिस्सा एक तिहाई में एक चौथाई। 2. पैतृक मकान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8/1/23



	कौटिल्य नगर पटना प्लॉट नं०-27 जिसमें स्वयं का हिस्सा एक चौथाई 3. आवासीय एपार्टमेंट द्वारिका दिल्ली में अवस्थित स्वयं का।					
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1. 1600 वर्गफीट। 2. 1000 वर्गफीट। 3. 1200 वर्गफीट।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्मित क्षेत्र क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	उपरोक्त।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	1. हां 2. हां 3. नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	3. 18.08.1986	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	14,00,000 / -	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	27,00,000 / -	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कूल चालू बाजार मूल्य	49,83,582 / -	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरो का पृथक विवरण दें)



क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों के शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग का शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग का शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग का शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग का शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरनालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8513



प्राधिकारी सिजके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।					
---	--	--	--	--	--

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं : सह-प्राध्यापक।

(ख) पत्नी : ~~सहपत्नी~~। *चारपाटी*

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

मैट्रिक- एम0एल0एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, वर्ष -1971

अन्तर स्नातक- साईस कॉलेज, पटना, पटना विश्वविद्यालय, पटना, वर्ष-1973

स्नातक विज्ञान (प्रतिष्ठा)- साईस कॉलेज, पटना, पटना विश्वविद्यालय, पटना, वर्ष-1976

स्नातकोत्तर - साईस कॉलेज, पटना, पटना विश्वविद्यालय, पटना, वर्ष-1978

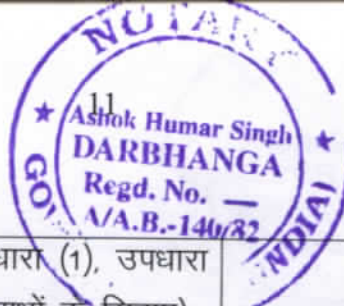
पी0एच0डी0 उपाधि- मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, वर्ष-1988

(प्रमाण/पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री डॉ0 मदन मोहन झा
2	डाक का पता	ग्राम+पोस्ट-बघांत, थाना-मनीगाछी, जिला-दरभंगा।
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	82 दरभंगा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र, बिहार
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व	शून्य



		अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)				
7		 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	AALPJ1093R	2012-13	17,58,921 / -		
	(ख) पत्नी	AGQPJ7202F	2011-12	1,74,500 / -		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	34,21,965 / -	6,02,203 / -	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां			शून्य	शून्य	शून्य
	i. स्वअर्जित स्थावर संपत्ति का क्रय कीमत	14,42,850 / -	85,000 / -	शून्य	शून्य	
	ii. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	iii. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	35,00,000 / -	8,00,000 / -	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	70,21,965 / -	14,02,203 / -	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	22,83,682 / -	शून्य			

8513



9	दायित्व					
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवाधीन है					
(i)	सरकारी शोध (कुल)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : मैट्रिक— एम0एल0एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, वर्ष -1971 अन्तर स्नातक— साईंस कॉलेज, पटना, पटना विश्वविद्यालय, पटना, वर्ष-1973 स्नातक विज्ञान (प्रतिष्ठा)— साईंस कॉलेज, पटना, पटना विश्वविद्यालय, पटना, वर्ष-1976 स्नातकोत्तर — साईंस कॉलेज, पटना, पटना विश्वविद्यालय, पटना, वर्ष-1978 पी0एच0डी0 उपाधि— मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, वर्ष-1988 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं,, उपर लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;



(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उषर भाषण की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 05 मार्च 2014 को सत्यापित किया गया।

मदन मोहन सिंह

9. I declare by the deponent who has sig in my presence. Basant Kumar Singh Advoc

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए। 5/3

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू" नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण- 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थी द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या लागू नहीं या "ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

'मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं -943109240

मेरा ई-मेल आईडी0 (अगर कोई हो) है - madanmohanijha56@gmail.com

मेरा पूर्ण सोशल मिडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है-शून्य

Sri / Smt. Dr. Madan Mohan Singh
Advocate, Solemnly Affirm
and Declared in Court me

A. K. Singh